फर्जी जाति प्रमाण पत्र : पुलिस के जांच प्रतिवेदन के अभाव में हाईकोर्ट में दायर हुआ अवमानना प्रकरण

मामला सीधी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बहेलिया परिवार के 5 लोगों की नौकरी की शिकायत का, हाईकोर्ट के आदेश के दो वर्ष बाद भी नहीं पूरी हो सकी जांच

नवभारत न्यूज

सीधी 3 फरवरी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में पुलिस के जांच प्रतिवेदन के अभाव में हाईकोर्ट में अवमानना प्रकरण दायर हुआ। यह मामला सीधी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बहेलिया परिवार के 5 लोगों की नौकरी की शिकायत का है। हाईकोर्ट के आदेश के दो वर्ष बाद भी जांच पूरी नही हो सकी।

जनपद पंचायत सीधी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रभात कुमार वर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई थी कि हरीदीन बहेलिया निवासी ग्राम रामगढ़ पोस्ट सेमरिया तहसील गोपदबनास जिला सीधी के पुत्र, पुत्री, सुपौत्र एक ही जाति के हैं। म.प्र. शासन के द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के संबंध में जारी राजपत्र के मुताबिक रीवा संभाग में बहेलिया जाति का प्रमाण पत्र किसी भी वर्ग में नहीं आता है। किन्तु शासकीय सेवा में लाभ लेने की मंशा से कूटरचित कृत्य करते हुये स्वत: तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर का प्रतिरूपण करते हुये अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र तैयार कर शासकीय सेवा में कार्य करने का लाभ लिया गया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मंगलेश्वर बहेलिया सहायक अध्यापक नियुक्ति दिनांक 17 जुलाई 1998, दिनेश प्रसाद पिता कामता प्रसाद बहेलिया नियुक्ति दिनांक 17 जुलाई 1998, श्रीमती कृष्णा देवी पति चिंतामणि बहेलिया नियुक्ति

दिनांक 17 जुलाई 1998, राजबली पिता हरीदीन बहेलिया पदस्थापना पशु चिकित्सालय व्हीएफओ एवं हीरामणि पिता हरीदीन बहेलिया निलंबित पटवारी ने शासकीय नौकरी का लाभ लिया। शिकायतकर्ता द्वारा संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की शिकायत पुलिस अधीक्षक सीधी से आवेदन देकर की गई। पश्चात एसडीओपी चुरहट द्वारा विधिवत जांच कर 25 फरवरी 2022 को भेजे गये पत्र में इस स्पष्ट उल्लेख किया कि उपरोक्त आरोपीगण के द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है कि उन्हें कहां से जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में शिकायतकर्ता प्रभात कुमार वर्मा द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी 30758/2023 दायर किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त याचिका प्रकरण में दिनांक 9 जनवरी 2024 को निर्देश प्रदान किये गये कि राज्य उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा मामले की जांच निर्धारित अवधि में पूरी की जाए। हैरत की बात तो यह है कि उच्च न्यायालय के पारित निर्देश के पालन में जांच पूर्ण ना होने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा अवमानना प्रकरण दायर किया गया। पुलिस जांच प्रतिवेदन के अभाव में राज्य उच्च स्तरीय छानबीन समिति की प्रक्रिया के अनुसार समिति द्वारा निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जब तक पुलिस जांच प्रतिवेदन सीधी से नहीं भेजा जायेगा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। इसी वजह से पुलिस जांच प्रतिवेदन न पहुंचे इसके लिये संबंधित आरोपियों द्वारा लम्बे अर्से से हथकंडे अपनाये जा रहे हैं। जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रह सके।

आयुक्त जनजातीय कार्य मप्र ने एसपी को पुन: लिखा पत्र

आयुक्त जनजातीय कार्य म.प्र. द्वारा पुन: पुलिस अधीक्षक सीधी को पुलिस जांच प्रतिवेदन भेजने के लिये 16 दिसम्बर 2025 को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्देश के पालन में जांच पूर्ण न होने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा अवमानना प्रकरण दायर किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व ज्ञाप दिनांक 5 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जांच कर जांच प्रतिवेदन अपने निष्कर्ष/अभिमत सहित 15 दिवस में उपलब्ध करायें। आयुक्त जनजाति कार्य म.प्र. इससे पूर्व भी पुलिस अधीक्षक सीधी को स्मरण पत्र 25.02.20, 23.07.20, 04.11.20, 27.09.21, 18.09.23, 05.03,24 को भेजे गये थे।

तहसीलदार की जांच में संदिग्ध पाए गए जाति प्रमाण पत्र

जिले के तहसीलदार रामपुर नैकिन की जांच में संबंधितों के जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध पाये गये थे। उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन को भेजे गये पत्र क्रमांक 144, दिनांक 28 फरवरी 2017 को कहा गया है कि पांचों दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध जांच कराकर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाय। करायी गयी जांच में मंगलेश्वर बहेलिया सहायक अध्यापक, दिनेश प्रसाद बहेलिया, श्रीमती कृष्णा देवी का जाति प्रमाण पत्र तहसील गोपदबनास से जारी हुआ है। वहीं राजबली एवं हीरामणि बहेलिया का जाति प्रमाण पत्र तहसील रामपुर नैकिन से जारी होने का उल्लेख है। रामपुर नैकिन से जारी दोनो जाति प्रमाण पत्रों में दायरा पंजी का क्रमांक अंकित ना होने से प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध है।

इनका कहना है

आयुक्त जनजातीय कार्य म.प्र. के पत्र के संबंध में जानकारी लेकर जांच प्रतिवेदन भेजने की कार्यवाही की जायेगी।

संतोष कोरी, पुलिस अधीक्षक सीधी

खेलो एमपी यूथ गेम्स-2026 : सीधी के युवाओं ने राज्य स्तर पर जीते 18 पदक

नवभारत न्यूज

सीधी 3 फरवरी। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 में सीधी जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित इस खेल महाकुंभ में सीधी के खिलाड़ियों ने कुल 18 मेडल जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी अरविंद कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सीधी के खिलाड़ियों ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पदक प्राप्त किए हैं।

प्रतियोगिता में 18 और 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। एकल खेल: 2 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल कुल 11 मेडल। समूह खेल: 2 द्वितीय स्थान और 5 तृतीय स्थान कुल 7 मेडल। पुरस्कार राशि शासन की ओर से द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 21000 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 11000 रुपये प्रति खिलाड़ी की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खातों में प्रदान की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं खेल अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि यह आयोजन विकासखंड से लेकर राज्य स्तर तक हुआ।

विकासखंड स्तर में कुल 1507 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें सीधी के 452, मझौली के 330, कुसमी के 296, रामपुर नैकिन के 302, सिहावल के 127 खिलाड़ी शामिल हैं। जिला व संभाग स्तर पर 935 खिलाड़ियों ने जिला स्तर और फिर 256 खिलाड़ियों ने संभाग स्तर पर भागीदारी की। अंतत: 159 खिलाड़ियों 89 बालक व 70 बालिका ने भोपाल और उज्जैन जैसे शहरों में आयोजित राज्य स्तरीय स्पर्धा में जिले का प्रतिनिधित्व किया।

इन खिलाड़ियों ने बढ़ाया मान

बॉक्सिंग में कशिश सिंह व तनु सिंह सिल्वर मेडल, आकांक्षा साकेत, नेहा साहू, समृद्धि चौबे, ऋषि जायसवाल इच्छा तिवारी, आयुष कुमार रावत और सागर सिंह ब्रॉन्ज मेडल। एथलेटिक्स में शिवम विश्वकर्मा 110 मीटर हर्डल्स-ब्रॉन्ज मेडल। जूडो में आयुषी मिश्रा 70 किग्रा. ब्रॉन्ज मेडल। वॉलीबॉल द्वितीय स्थान अनमोल सिंह एवं अभ्युदय सिंह। रस्साकशी तृतीय स्थान में शिवानी जायसवाल, तारावती केवट, दुर्गेश जायसवाल अर्पिता सिंह और समीक्षा सिंह ने मान बढ़ाया है।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं 168 समस्याएं, दिए सख्त निर्देश

नवभारत न्यूज

सीधी 3 फरवरी। शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायत सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिलेभर से आए नागरिकों की कुल 168 समस्याएँ गंभीरतापूर्वक सुनीं।

जनसुनवाई के दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त सभी आवेदनों पर तत्काल, प्रभावी एवं पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने कहा कि जनसुनवाई शासन और आमजन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, अत: प्रत्येक आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही या अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रकरण में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाई गई, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, अतिरिक्त सीईओ धनंजय मिश्रा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद सीईओ, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े रहे।

हायर सेकण्डरी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 10 से

सीधी 3 फरवरी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. द्वारा हायर सेकेण्डरी कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 10 फरवरी से आरंभ हो रही है जो 7 मार्च तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियमित तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए प्रात: 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रात: 8 बजे एवं परीक्षा कक्ष में प्रात: 8.30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रात: 8.45 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व अर्थात प्रात: 8.50 बजे उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व अर्थात प्रात: 8.55 बजे प्रश्न-पत्र दिए जाएंगे।

कन्या महाविद्यालय में यातायात, महिला सुरक्षा व साइबर अपराध पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज

सीधी 3 फरवरी। शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में आमजन को सुरक्षित एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में यातायात सुरक्षा, महिला जागरूकता एवं साइबर अपराध विषयों पर संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में कोतवाली प्रभारी अभिषेक उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती ममता पाठक ने सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ.देवेन्द्र कुमार सोनी द्वारा की गई।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्राओं एवं स्टाफ को यातायात नियमों के पालन, महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों तथा साइबर अपराध से बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। प्रभारी प्राचार्य डॉ.देवेन्द्र कुमार सोनी ने अपने संबोधन में कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित उपयोग, यातायात संकेतों का पालन तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करना सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक हो सकता है। विशिष्ट अतिथि श्रीमती ममता पाठक ने कहा कि समाज की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे चुप्पी तोड़कर अपने अधिकारों के लिए आगे आएं, क्योंकि जागरूकता ही आत्मरक्षा की पहली सीढ़ी है। कार्यक्रम का संयोजन डॉ.प्रतिमा कौल द्वारा किया गया, जबकि संचालन प्राची सिंह ने किया। आभार प्रदर्शन डॉ.बालेन्द्र कुमार पटेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आदर्श सिंह, सुभाष सिंह, डॉ.अनिलेश वर्मा, डॉ.अनीता तिवारी, डॉ.दीप्ति सिंह, डॉ.आकांक्षा खादीकर, डॉ.अमिता खरे, डॉ.रेखा गुप्ता, डॉ.प्रीति सतनामी सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

मुख्य अतिथि ने आत्म-सुरक्षा के उपायों की दी जानकारी

मुख्य अतिथि अभिषेक उपाध्याय द्वारा महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों एवं आत्म-सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर प्रकाश डालते हुए ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग तथा ओटीपी साझा न करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

वन स्टॉप सेंटर ने महिलाओं व बालिकाओं को किया जागरुक

गांधी चौक में आयोजित हुआ कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

सीधी 3 फरवरी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के दिशा निर्देशों, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवेश मिश्रा के मार्गदर्शन एवं प्रशासक श्रीमती सरोज खरे के नेतृत्व में गांधी चौक सीधी में वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम अंतर्गत बाजार क्षेत्र में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर केस वर्कर अरूणिमा पाठक वन स्टॉप सेंटर सीधी ने जानकारी देते हुए बताया कि वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर 6 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिनमें परामर्श सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता तथा 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा शामिल है। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर का कार्यालय इंडियन कॉफी हाउस के समीप संचालित किया जा रहा है जहां आवश्यकता पड़ने पर महिलाएं नि:संकोच सहायता प्राप्त कर सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा सरकारी सहायता सेवाओं की जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम में केयर टेकर इंदू तिवारी एवं अंजू पाण्डेय की भी सक्रिय सहभागिता रही।

एक नजर में

जिला अस्पताल में क्यूआर कोर्ड सुविधा प्रारंभ

सीधी। सीधी जिले के जिला अस्पताल में मूक-बधिर नागरिकों की सुविधा हेतु एक अभिनव पहल की शुरुआत की गई है। अब मूक-बधिर मरीज क्यूआर कोड स्कैन कर सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपनी समस्या और बीमारी चिकित्सकों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत अस्पताल में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करने पर मरीज सीधे ऑनलाइन सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ से जुड़ सकेंगे, जिससे संवाद की बाधा दूर होगी। इस सुविधा के संचालन हेतु साइनेबल कम्युनिकेशन संस्था के साथ अनुबंध किया गया है। यह पहल मध्य प्रदेश शासन द्वारा संवेदनशील और समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में की गई है। कार्यक्रम को साकार करने में आनंद सर्विस सोसायटी के सचिव ज्ञानेन्द्र पुरोहित, सोनांचल बधिर संघ के अध्यक्ष सतीश गौतम एवं सचिव विपिन मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उल्लेखनीय है कि सीधी जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला है, जहाँ जिला अस्पताल स्तर पर मूक-बधिरों के लिए इस प्रकार की क्यूआर कोड आधारित संवाद सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह पहल दिव्यांगजनों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता एवं तकनीक के प्रभावी उपयोग का उदाहरण है।

मझौली मुख्य बाजार नो पार्किंग जोन घोषित

मझौली। नगर परिषद मझौली के मुख्य बाजार क्षेत्र में लगातार लगने वाले जाम एवं यातायात अव्यवस्था की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद मझौली के मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रात: 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत: निषेध (नो-एंट्री) किया गया है। इसके साथ ही राम मंदिर तिराहा, मड़वास रोड एवं उमरिया-व्यौहारी रोड की ओर तीनों दिशाओं में 100 मीटर की परिधि को नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है। यह निर्णय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली के पत्र के माध्यम से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मझौली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा थाना प्रभारी पुलिस थाना मझौली के जांच प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है। आदेश लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। कलेक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन द्वारा आम नागरिकों, व्यापारियों एवं वाहन चालकों से यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने हेतु आदेशों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि मझौली मुख्य बाजार में आवागमन सुगम हो सके और जाम की समस्या से स्थायी राहत मिल सके।

सोमवती के निधन पर भारतीय जनता पार्टी ने जताया शोक, दी श्रद्धांजलि

नवभारत न्यूज

सीधी 3 फरवरी। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व संगठन मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन जितेन्द्र लिटोरिया के सहयोगी संतोष गुप्ता की दादी और संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक सोभनाथ गुप्ता की धर्मपत्नी सोमवती गुप्ता के निधन पर पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उनके निज निवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष जितेन्द्र लिटोरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान, प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य इंद्रशरण सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष शिवदान साकेत, मनीला सिंह चौहान, पूर्व महामंत्री विनय सिंह चौहान, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्रमणि दुबे, जन अभियन परिषद के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्णकांत द्विवेदी, जितेन्द्र तिवारी, धर्मेन्द्र शुक्ला, गुढ़ के वरिष्ठ नेता नारायण मिश्रा, अनंत गुप्ता, टीआरएस महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ.शिव कुमार दुबे, ए.सी.खंडवा, संतोष शुक्ला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंडला शैलेश मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य सतना आशुतोष गुप्ता सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे।

सीधी बना देश का पहला जिला, क्यूआर कोड से होगा मूक-बधिरों से संवाद

जिला स्तरीय कार्यशाला में तकनीकी पहल का प्रस्तुतीकरण, तकनीक से संवेदनशील प्रशासन की ओर कदम

नवभारत न्यूज

सीधी 3 फरवरी। मूक एवं बधिर व्यक्तियों के साथ प्रभावी, सम्मानजनक और सहज संवाद सुनिश्चित करने की दिशा में जिले में एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के अंतर्गत क्यूआर कोड आधारित साइन लैंग्वेज हेल्पलाइन प्रणाली लागू की जा रही है जिसके माध्यम से अब मूक-बधिर व्यक्ति शासकीय कार्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य प्रशासनिक संस्थानों में अपनी बात आसानी से रख सकेंगे।

इस अभिनव व्यवस्था के तहत शासकीय कार्यालयों में प्रदर्शित क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही साइन लैंग्वेज आधारित संवाद सुविधा उपलब्ध होगी। जिले

में इस नवाचार को लागू करने का प्रयास सोनांचल बधिर संगठन, सीधी द्वारा किया जा रहा है। इस पहल का राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय भारत के राष्ट्रीय पुनर्वास विशेषज्ञ ज्ञानेन्द्र पुरोहित कर रहे हैं, जो सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत देशभर में मूक-बधिरों के लिए सुलभ एवं समावेशी व्यवस्था विकसित करने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। इस संबंध में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी की उपस्थिति में जिला पंचायत सीधी के सभागार में जनसुनवाई के पश्चात जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में क्यूआर कोड हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली, उपयोगिता तथा जिले में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान आनंद सर्विस सोसाइटी इंदौर के ज्ञानेन्द्र पुरोहित एवं सोनांचल विंध्य बधिर संगठन सीधी के प्रतिनिधियों द्वारा जिला अधिकारियों को साइन लैंग्वेज का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। संगठन के अध्यक्ष सतीश गौतम, सचिव विपिन मिश्रा, रवि सिंह एवं धीरेन्द्र ने सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद की बुनियादी जानकारी साझा की।

कार्यशाला में साइनेबल कम्युनिकेशन बैंगलुरु की डायरेक्टर सुश्री रुपमणि छेत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल हुई। उन्होंने क्यूआर कोड आधारित संवाद प्रणाली की तकनीकी संरचना, उपयोग की प्रक्रिया एवं इसके सामाजिक महत्व पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। कार्यशाला के दौरान एक लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया कि किस प्रकार क्यूआर कोड स्कैन कर तकनीक के माध्यम से मूक-बधिर व्यक्तियों की समस्याओं को तुरंत समझा जा सकता है तथा संवाद को सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है।

सभी कार्यालयों में क्यूआर कोड लगाने के निर्देश

कार्यशाला में सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में यह सुनिश्चित किया जाए कि क्यूआर कोड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो तथा कर्मचारियों को इसके उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मूक-बधिर एवं अन्य दिव्यांगजनों से संवाद करते समय पूर्ण संवेदनशीलता, धैर्य एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि उन्हें किसी भी स्तर पर असुविधा न हो।